[1][नियम 61क : तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए चयन की रीति

(1) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आशयित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पूर्ववर्ती तिमाही के दूसरे मास के पहले दिन से उस तिमाही के जिसके लिए चयन किया जाना है, उस तिमाही के पहले मास के अंतिम दिन तक इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उसकी प्राथमिकता उपदर्शित करेगा :

परन्तु जहां एक बार ऐसे विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भविष्य कर अवधियों के लिए तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखेगा, जब तक कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,–

(क) इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपात्र नहीं हो जाता है; या

(ख) इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करता हैः

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की तारीख पर बकाया अंतिम विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आवर्त पांच करोड़ रूपए से अधिक है, उस तिमाही जिसके दौरान उसका सकम आवर्त 5 करोड़ रूपए से अधिक होता है, वह उत्तरवर्ती तिमाही के पहले मास से इलैक्ट्रानिक रूप में सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करेगा।**]**

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 82/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा **नियम 61क** अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.11.2020)।